PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS SECRETARIAT

Notification No. DPAR 79 COI 77

Bangalore, dated 27th March 1978.

Ordered that the Notification S. O. 96 (E) dated 15th February 1978 published in Part-II Section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India Extra-ordinary dated 15th February 1978 be published in the *Karnataka Gazette* for general information.

By Order and in the name of the Governor of Karnataka,

V. S. NAIK,
Under Secretary to Government,
Department of Personnel and Administrative Reforms (Commission of Inquiry).

52

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1978

का. आ. 96(अ.).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 365(अ), दिनांक 23 मई, 1977, जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2), दिनांक 23 मई, 1977 के पृष्ठ 1981 से 1986 पर प्रकाशित हुई है, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुबन्ध ii में—

(1) अभिकथन संख्या 7 में, "चावल" शब्द के स्थान पर "धान" शब्द रखा जाएगा ;

(2) अभिकथन संख्या 24 में, अन्त में निम्नलिखित को जोड़

:—" ;

में निधियों की जमा के संबंध में अनिवार्य नियमों के विरुद्ध बैंकों और कर्नाटक डेरी कार्पोरेशन की 50 लाख रुपये तक की निधियों को दक्षिण भारतीय बैंक में जमा कराया ; और क्या कुछ प्रतिफल के लिए श्री चिक्के गौडा के कहन पर वरालक्ष्मी-कपास बीजों की राज्य से बाहर अन्धाधुन्ध बिक्री कराई गई जिससे उत्पादकों को भारी हानि हुई ; और क्या मंत्री द्वारा आर्थिक लाभों के अपने हित-साधन के उद्देश्य से श्री द्वारका नाथ और श्री नंजेया को कृषि-निदेशक और पशुपालन-निदेशक नियुक्त किया गया था ; और क्या श्री चिक्के गौडा ने कृषि और पशुपालन विभागों द्वारा मशीनरी की खरीद के संबंध में मैसर्स बल्कन लावल और लार्सन एण्ड ट्यूबरो से उनके एजेंट श्री वी. वी. पार्थसारथी, श्रीमती सावला और श्री जोहन के माध्यम से कमीशन के रूप में निजी तौर से भारी रकमें प्राप्त की थीं ।"

(3) अभिकथन संख्या 25 में, 'श्री एम. बी. लाल और श्री एम. बी. वेंकटप्पा', शब्दों और अक्षरों के स्थान पर 'श्री एन. सी. माधवराज" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

[संख्या 375/16/77-ए. वी. डी.-3]

रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सचिव